

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना  
सोमवार, दिनांक 09 दिसंबर 2013

**Notice for Extraordinary General Meeting**  
Monday, December 09, 2013



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**

भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office : 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

## विषय-सूची

### INDEX

सूचना .....	1	Notice .....	5
टिप्पणियां .....	2	Notes .....	6
व्याख्यात्मक कथन .....	2	Explanatory Statement .....	7
प्रॉक्सी फार्म .....	9	Form of Proxy .....	10
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास .....	11	Attendance Slip and Entry Pass .....	12
हरित पहल .....	13	Green initiative.....	15

## कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

### IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम	तारीख
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy forms and resolutions for appointing authorised representatives	04 दिसंबर 2013 को सायं 5.00 बजे तक December 04, 2013, at 5.00 p.m.
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	सोमवार, 09 दिसंबर 2013 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005 Monday, December 09, 2013, at 10.30 a.m. Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005



## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

### शेयरधारकों को सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक सोमवार दिनांक 09 दिसंबर 2013 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

#### 1. निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर) विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है। सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार को अधिमान आधार पर ₹ 10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 799,99,99,980.72 के 177619893 ईक्विटी शेयरों को ₹ 45.04 प्रति शेयर नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।

**प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 08 नवंबर 2013 है।**


**प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।**

**यह भी प्रस्ताव है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे।**

**यह भी प्रस्ताव है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए ईक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।**

**यह भी प्रस्ताव है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका को निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित हों।**

**यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”**

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  


(सी.वी.आर. राजेन्द्रन)  
कार्यपालक निदेशक

स्थान : पुणे

दिनांक : 08.11.2013



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

## टिप्पणियां

1. बैठक में किए जाने वाले कामकाज संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं।
2. बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन व अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों हेतु कुल 10 प्रतिशत के मतदान अधिकार से अधिक मतदान अधिकार का पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार, केंद्र सरकार के अलावा, प्रत्येक शेयरधारक का, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में केन्द्र सरकार के अलावा कुल मतदान अधिकारों के अधिकतम 10 प्रतिशत के अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा।

### 3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जो बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र हैं वे अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 04 दिसंबर 2013 को बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक है, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण आम सभा की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक बुधवार, 04 दिसंबर 2013 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

### 5. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें। प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

## सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

### क) वरीयता निर्गम के उद्देश्य

पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध बासल (II) और (III) के अनुपालन की दृष्टि से पूंजी उगाहने की बढ़ती हुई आवश्यकता सदैव रहती है।

बासल-II के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक को जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) से पूंजी का अनुपात न्यूनतम 9 प्रतिशत रखना अनिवार्य है इसमें से कम से कम 6 प्रतिशत टियर -I पूंजी होना चाहिए। 31 मार्च 2013 के बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.59 प्रतिशत था, जिसमें से टियर-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.57 प्रतिशत था। 30 सितंबर 2013 को बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.67 प्रतिशत था जिसमें से टियर -I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.03 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, बासल III के अंतर्गत भी, यह आवश्यक है कि बैंक अपनी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में न्यूनतम 9 प्रतिशत पूंजी रखें जिसमें से कॉमन इक्विटी टियर -I (न्यूनतम) 4.50 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत (अधिकतम) अतिरिक्त टियर-I पूंजी रखें, इस प्रकार वर्तमान में न्यूनतम कुल 6 प्रतिशत टियर -I पूंजी आवश्यकता है, जो 31 मार्च 2014 को (समग्र 9 प्रतिशत सीआरएआर अनुपात की सीमा में) बढ़कर 6.50 प्रतिशत तक हो जाएगी। 30 सितंबर 2013 के बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.71 प्रतिशत है, जिसमें से कुल टियर-I पूंजी (कॉमन इक्विटी टियर -I - 5.95 प्रतिशत है) 6.74 प्रतिशत था। साथ ही कारोबार में हो रही वृद्धि और आगामी भविष्य में कारोबार में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी और उगाही गई पूंजी कारोबार में वृद्धि हेतु आवश्यक पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने हेतु प्रयोग में लाई जाएगी।



- ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 के पत्र फा.सं.11/13/20111-बीओए द्वारा बैंक के स्वामित्व वाली निधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक में रु.800 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी पूँजी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इक्विटी शेयरों का प्रस्तावित ऑफर इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया जाएगा।
- ग) सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के पाठ VII के प्रावधानों के अनुसार निर्गम मूल्य का निर्धारण किया गया है।
- घ) इक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम से पूर्व एवं पश्चात बैंक की शेयरधारिता पद्धति:


क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व 30 सितंबर 2013 की स्थिति		निर्गम उपरांत 31 दिसंबर 2013 की स्थिति	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का 10
क	प्रवर्तक की धारिता				
1	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	537390307	81.24	715010200	85.21
	विदेशी प्रवर्तक	-	-	-	-
2	संगठित रूप से कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-
	उप जोड़	537390307	81.24	715010200	85.21
ख	गैर प्रवर्तक धारिता				
3	संस्थागत निवेशक				
क	म्युच्युअल फंड और यूटीआई	5211620	0.79	5211620	0.62
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/ राज्य सरकारी संस्थाएं/ गैर-सरकारी संस्थाएं)	59160060	8.94	59160060	7.05
ग	वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	4423603	0.67	4423603	0.53
	उप जोड़	68795283	10.40	68795283	8.20
4	अन्य				
क	निजी कारपोरेट निकाय	5927530	0.90	5927530	0.71
ख	भारतीय जनता	48188173	7.28	48188173	5.74
ग	एनआरआई/ओसीबी	1174641	0.18	1174641	0.14
घ	अन्य कोई	--	--	--	--
	उप जोड़	55290344	8.36	55290344	6.59
	कुल जोड़	661475934	100.00	839095827	100.00

- ड.) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में दी गई निर्धारित समय सीमा में निर्गम की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु बैंक प्रयासरत है।
- च) चूंकि बैंक के प्रवर्तक और प्रमुख शेयरधारक, भारत सरकार, को निर्गम प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 30.09.2013 को)	537390307	81.24
निर्गम के पश्चात	715010200	85.21

- छ) बैंक का इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- ज) अधिमानी निर्गम के अंतर्गत भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले सभी प्रस्तावित शेयर, नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे।

- झ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयर धारिता नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” की तारीख से छह माह की अवधि, जो संबंधित तारीख से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ञ) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- ट) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट किए अनुसार इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- ठ) भारत सरकार ने संबद्ध तारीख से पूर्व छह माह के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर बेकागजीकृत स्वरूप में हैं।
- ड) निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेख किए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।
- ढ) संकल्प में निहित प्रस्ताव से बैंक के किसी भी निदेशक का कोई संबंध नहीं है या उनका कोई हित नहीं जुड़ा है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
  
(सी.वी.आर. राजेन्द्रन)  
कार्यपालक निदेशक

स्थान : पुणे  
दिनांक : 08.11.2013

# Bank of Maharashtra

(Head Office : 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

## NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 57 of Bank of Maharashtra( Shares and Meetings) Regulations 2004, an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, December 09, 2013, at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005, to transact the following business:

**1. TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 177619893 Equity Shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of ₹ 45.04 per share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations aggregating ₹ 799,99,99,980.72 on Preferential basis to Government of India (GOI).

**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is November 08, 2013.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.


**RESOLVED FURTHER THAT** the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.



**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By Order of the Board of Directors

  
(C.V.R.Rajendran)  
Executive Director

Place : Pune  
Date : 08.11.2013

**NOTES:**

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
2. In terms of Sub section (2E) of Section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, no shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder, other than the Central Government, who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of poll, shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights.

As per Regulation 10 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, if any shares stand in the name of the two or more persons, the person first named in the Register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

**3. APPOINTMENT OF PROXY:**

**A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.**

**THE PROXY FORM, IN ORDER TO BE EFFECTIVE, MUST BE RECEIVED BY THE BANK AT ITS HEAD OFFICE, AT PUNE NOT LESS THAN FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING i.e., ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF THE BANK AT 05.00 p.m. ON WEDNESDAY, DECEMBER 04, 2013.**

**4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the Head Office of the Bank at Pune, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 05.00 p.m. on Wednesday, **DECEMBER 04, 2013.**

**5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.



**EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN  
TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.**

**a) Objects of the Preferential Issue:**

In order to comply with Basel (II) and (III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise Capital. Under Basel II, the Reserve Bank of India requires the Banks to maintain a minimum Capital to Risk- weighted Assets Ratio (CRAR) of **9 %**, of which Tier I capital should be at least **6%**. As per the Audited Financial Statements of the Bank as of March 31, 2013, the total Capital Adequacy Ratio of the Bank was **12.59%**, out of which Tier I Capital Adequacy ratio was **7.57%**. As at September 30, 2013, the total Capital Adequacy Ratio of the Bank was **11.67%**, out of which Tier I Capital Adequacy ratio was **7.03%**.

Similarly, under Basel III also, Banks are required to maintain a minimum Capital to Risk- weighted Assets Ratio (CRAR) of **9 %**, of which Common Equity Tier-I is 4.50% (minimum) & Additional Tier-I is 1.50% (maximum), making minimum total Tier I capital requirement at **6%** at present which will go up to 6.50% (within the overall CRAR ratio of 9%) as on 31<sup>st</sup> March 2014. As per the Financial Statements of the Bank as of September 30, 2013, the total Capital Adequacy Ratio of the Bank is **10.71%**, out of which total Tier I Capital was 6.74% (Common Equity Tier-I is 5.95%). Further taking into account the on going growth in the business and the scope for business growth in the immediate future, Bank foresees additional requirement of capital and the capital raised will be utilized to strengthen the Capital Adequacy required for the business growth.

b) Government of India, Ministry of Finance, vide its communication F No 11/13/2011-BOA dated 22.10.2013 has decided to infuse additional equity capital to the tune of Rs. 800 Crore into the Bank, to strengthen owned funds of the Bank. The proposed offer of Equity Shares will be subscribed by Government of India- the Promoter of the Bank, through Preferential Issue of Equity Shares.

c) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

d) Shareholding Pattern of the Bank before and after the Preferential Issue of Equity Shares:

Sr. No.	Category	Before the Issue as on September 30, 2013.		After the Issue as on December 31, 2013.	
		No of Shares held	% share holding	No of shares held	% share holding
<b>A</b>	<b>Promoter Holding</b>				
<b>1.</b>	<b>Promoters</b>				
	Govt. of India	537390307	81.24	715010200	85.21
	Foreign Promoters	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Persons acting in concert</b>	-	-	-	-
	<b>Sub total</b>	537390307	81.24	715010200	85.21
<b>B</b>	<b>Non Promoter Holding</b>				
<b>3.</b>	<b>Institutional Investors</b>				
A	Mutual funds & UTI	5211620	0.79	5211620	0.62
B	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/State Govt. Institutions/ Non-government Institutions)	59160060	8.94	59160060	7.05
C	FII	4423603	0.67	4423603	0.53
	<b>Sub Total</b>	68795283	10.40	68795283	8.20
<b>4</b>	<b>Others</b>				
A	Private Corporate Bodies	5927530	0.90	5927530	0.71
B	Indian Public	48188173	7.28	48188173	5.74
C	NRI/OCBs	1174641	0.18	1174641	0.14
D	Any Other	--	--	--	--
	<b>Sub Total</b>	55290344	8.36	55290344	6.59
	<b>Grand Total</b>	661475934	100.00	839095827	100.00



- e) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- f) As the issue is proposed to be made to the Government of India (GOI) the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre Issue (as on 30.09.2013)	537390307	81.24
Post Issue	715010200	85.21

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.
- h) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- i) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialised Form.
- m) The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.
- n) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in any manner in the proposal contained in the Resolution.

**By Order of the Board of Directors**



**(C.V.R. Rajendran)**  
Executive Director

**Place : Pune**  
**Date : 08.11.2013**



## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

### प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या	डीपीआईडी क्र.	
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	ग्राहक आई डी	(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम ----- निवासी -----  
----- जिला ----- राज्य ----- बैंक ऑफ  
महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती ----- निवासी ----- जिला  
----- राज्य ----- को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती ----- नि-  
वासी ----- जिला ----- राज्य ----- को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 09 दिसंबर 2013  
को अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में प्रातः 10.30 बजे होने वाले असाधारण  
सामान्य बैठक और उसके स्थगित होने पर तत्पश्चात होने वाली बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/  
करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2013----- के माह के----- दिन को हस्ताक्षरित

नाम:-----

पता:-----

कृपया  
₹ 1/- का राजस्व  
टिकट लगाएं

(प्रॉक्सी का हस्ताक्षर)

(प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

### प्रतिनिधि फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,  
क) एकल शेयरधारक के मामले में, उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों  
ख) संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों  
ग) एक निगमित निकाय के मामले में, उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रॉक्सी लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो
- प्रतिनिधि फार्म,  
क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या  
ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् बुधवार, 04 दिसंबर 2013 के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे के पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत स्टॉप न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत, दो ग्राहियों को दिया गया हो तो, एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



# BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We, ..... resident(s) of ..... in the district of ..... in the State of ..... being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt. .... resident of ..... in the district of ..... in the State of ..... OR failing him/her, Shri/Smt. .... resident of ..... in the district of ..... in the State of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on December 09,2013 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of .....2013.

Name.....

Address.....

.....

Please affix ₹ 1/- Revenue Stamp
-------------------------------------------

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
  - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Financial Management & Accounts, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of **05.00 p.m. on Wednesday, the 4<sup>th</sup> December 2013.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra  
भारत सरकार का उद्यम  
एक परिवार एक बैंक



## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

### उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश द्वार पर सौंपा जाना है)

दिनांक : 09.12.2013

समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

मैं एतद्वारा बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
(अगर बेकागजीकृत नहीं है)		(अगर बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
धारित शेयरों की संख्या			

यहां से काटें



## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

### प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु)

दिनांक : 09.12.2013

समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
(अगर बेकागजीकृत नहीं है)		(अगर बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
धारित शेयरों की संख्या			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप समुचित हस्ताक्षरित उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची को प्रवेश-पत्र के साथ प्रस्तुत करें। तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में, बैठक-स्थल के प्रवेशद्वार पर उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र की नकल (डुप्लीकेट) जारी नहीं की जाएगी।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



## BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

### ATTENDANCE SLIP

(To be handed over at the time of entry to the Venue)

Date : 09.12.2013

Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	
-----------------------------------------------------------------------------	--

Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dematerialised		If Dematerialised	
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			



cut here



## BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : 09.12.2013

Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	
-----------------------------------------------------------------------------	--

Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dematerialised		If Dematerialised	
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank along with the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting.



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम  
**एक परिवार एक बैंक**

## बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

संदर्भ क्र एएक्स1/आईएसडी/हरितपहल/2013-14

स्थान : पुणे

दिनांक : 08.11.2013


प्रिय शेयरधारक,

### विषय : निगमित अभिशासन में हरित पहल – ई-मेल आईडी हेतु अनुरोध

1. निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित अभिशासन में "हरित पहल" करते हुए कंपनियों को अपने शेयरधारकों को नोटिस / दस्तावेज / अन्य संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमति दी है।
2. मंत्रालय के इस कदम से कागज की खपत कम होगी, जिससे पेड़ कटने से बचेंगे, जो हरित पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दस्तावेज/संप्रेषण भेजने से लागत में तो पर्याप्त बचत होगी ही, साथ ही, डाक में इनकी गुमशुदगी को टाला जा सकेगा और इनका तत्पर संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में आपका बहुमूल्य सहयोग प्रार्थनीय है।
3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब से सभी संप्रेषण/दस्तावेज जैसे आम सभा की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जमा किए गए लाभांशों की एनईसीएस सूचनाएं, आदि आपके ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जो आपके द्वारा/ आपके डिपोजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है।
4. अतः हम आपसे निम्नानुसार अनुरोध करते हैं :
  - अगर आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके निक्षेपागार सहयोगी (डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट) के पास आपका अद्यतन ई-मेल आईडी हो।
  - अगर आपके पास भौतिक (फिजिकल) फॉर्म में शेयर्स हों तो अनुरोध है कि अपना ई-मेल आईडी अद्यतन कराने के लिए हमें हमारे उपर्युक्त पते पर या हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर लिखें :  
एमसीएस लिमिटेड, (यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास भवन, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009. टेलिफोन : (022) 2372 6253-56, फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल : uday\_mcs@yahoo.in
  - कृपया जानकारी इस प्रकार दें :
    - i) फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :
    - ii) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम :
    - iii) ई-मेल आईडी :
    - iv) टेलीफोन/मोबाईल क्रमांक
    - v) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर
5. इस संबंध में मांग करने पर आप उपर्युक्त मद क्र. (3) में सूचित संप्रेषण/दस्तावेज की भौतिक प्रतियां, भी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। ये दस्तावेज बैंक की वेबसाईट [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) पर निश्चित तिथि से पूर्व भी उपलब्ध होंगे तथा इसकी भौतिक प्रति निरीक्षण हेतु हमारे निवेशक सेवाएं विभाग में कार्यालय समय के दौरान भी उपलब्ध होगी।
6. कृपया उपर्युक्त जानकारी में हुए परिवर्तनों को निवेशक सेवाएं विभाग/एमसीएस लिमिटेड या अपने निक्षेपागार सहयोगी के साथ अद्यतन करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,



महाप्रबंधक

वित्तीय प्रबंधन व लेखा



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

स्थान :  
दिनांक :

एमसीएस लिमिटेड,  
(यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र)  
कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल,  
काशीराम जमनादास भवन,  
5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी),  
मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009.  
टेलिफोन : (022) 2372 6253-56,  
फैक्स : (022) 2372 6252  
ई-मेल : uday\_mcs@yahoo.in

प्रिय महोदय ,

**विषय : शेयरधारक की जानकारी को अद्यतन करना**

इसका संदर्भ दिनांक 08.11.2013 के आपके पत्र क्रमांक एएक्स1/आईएसडी/ हरितपहल/2013-14 से है जो शेयर धारक की जानकारी को अद्यतन करने के संबंध में है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको सम्प्रेषण में सरलता होगी। मेरी/हमारी शेयर धारिता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :

1	फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी	
2	प्रथम/एकल शेयर धारक का नाम	
3	ई-मेल आईडी	
4	टेलीफोन/मोबाईल क्रमांक	
5	प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर	

आप हमे सभी सम्प्रेषण उपर्युक्त पते पर भेज सकते हैं।

भवदीय,

(प्रथम/एकल शेयर धारक का नाम)

(कृपया इस पृष्ठ को पृथक करें और यथोचित रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर कर उक्त पते पर एमसीएस लिमिटेड को मेल करें।)



# BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

Ref.No.AX1/ISD/Greenin /2013-14

Place : Pune

Date : November 08, 2013.

Dear Shareholders,

## RE: Green Initiative in Corporate Governance- Request for Email ID

01. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken the "Green Initiative in Corporate Governance" thereby allowing companies to send notices / documents / other communications to their shareholders through electronic mode.
02. This move by the Ministry is going to reduce the consumption of paper and thereby save trees, which would significantly contribute to the cause of green environment. Besides saving substantially on the cost front, sending documents/ communications by electronic mode also ensures prompt communication without their loss in transit. We solicit your valuable support in our efforts to contribute to this cause.
03. We now would like to inform you that henceforth all future communications/ documents, like Notices of General Meetings, Annual Reports including Audited Financial Statements, Directors Report, Auditors Report, NECS intimations of dividend credited etc. will be sent to you in electronic mode at the e-mail address provided by you/made available to us by your Depositories.
04. We therefore request you as under:
  - In case you are holding shares in Demat form, please ensure that your e-mail Id with your Depository Participant is an updated one.
  - In case you are holding shares in physical form, you are requested to write to us at our above address or to MCS Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, at the address given below to update your e-mail Id:
  - **MCS Ltd., (Unit: Bank of Maharashtra) Office No21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009. Tel (022)2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252 e-mail: uday\_mcs@yahoo.in**
  - The information may please be given as under:
    - i) Folio No./DP ID-Client ID :
    - ii) Name of the First/Sole Shareholder :
    - iii) E-mail ID :
    - iv) Telephone/Mobile No. :
    - v) Signature of the first/sole shareholder :
05. You are also entitled to physical copies of the communication/ documents said in (3) above, upon requisition in this regard. These documents will also be available on the Bank's website [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) prior to the mandatory date and physical copy will also be available for inspection during office hours at our Investor Services Department.
06. Please update the changes in said details with the Investor Services Dept/MCS Ltd or with your Depository Participants.

Thanking you,

Yours faithfully,



**General Manager**

Financial Management & Accounts.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Place :

Date :

**MCS Ltd.,**

**(Unit: Bank of Maharashtra)**

Office No21/22, Ground Floor,

Kashiram Jamnadas Building,

5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi),

Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009.

Tel (022)2372 6253-56,

Fax: (022) 2372 6252

e-mail: uday\_mcs@yahoo.in

Dear Sir,

**RE: Updating the shareholder information**

This has reference to your letter No.AX1/ISD/Greenin /2013-14, dated November 08, 2013 on your request to update the shareholder information, to enable you to send the communication through electronic media. The information in respect of my/ our share holdings is as under:

1	Folio No./DP ID-Client ID	
2	Name of the First/Sole Shareholder	
3	E-mail ID	
4	Telephone/Mobile No	
5	Signature of the first/sole shareholder	

You may send us the communication to the above e-mail Id.

Yours faithfully,


(Name & Signature of the first/sole shareholder)

(Please detach this page and mail to MCS Ltd, at the above address, duly filled and signed)



बुक - पोस्ट  
BOOK- POST

सेवा में,  
To



सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं:  
मेसर्स एमसीएस लि.  
यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
ऑफिस नम्बर 21/22, तल मंजिल,  
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,  
5 डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी),  
मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009

If undelivered please return to :  
**M/s. MCS Ltd.**  
Unit : **Bank of Maharashtra**  
Office No. 21/22, Ground Floor,  
Kashiram Jamnadas Building,  
5 D'Mello Road (Ghadiyal Godi)  
Masjid (East), Mumbai 400 009.



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**

भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**